59

# न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 652-I/17

1. इमरत तनय जयराम यादव

2. रामबाई पत्नि अच्छेलाल यादव

निवासी ग्राम बम्हौरी मडिया,

तह. समर्रा सर्किल, टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... निगराकार

बनाम

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

श्री ........ द्वारा आज दि. 16.2.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

प्रस्तुत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 21 अ/68/2016-17 में पारित आदेश 17.01.2017 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत।

महोदय,

1- भूमि स्थित ग्राम बम्हौरी मडिया खसरा नं. 929/8 रकवा 1.000 हेक्टै. के विरूद्व करीब 40 वर्षो से निगराकार सहित उनके परिवार के द्वारा उक्त भूमि पर लगातार फसली कब्जा है। जिसके चलते आवेदकगण अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है।

2- यह कि, निगराकार के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2017 को भू-राजस्व संहिता जिसे आगे संहिता कहा जायेगा। उक्त भूमि खसरा नं. 929/8 जिसे प्रकरण में आगे विवादित भूमि माना जावें। उक्त स्थिति में आवेदक के विरूद्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही कर उसे बेदखली का आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है आवेदक निगराकार उस भूमि का वास्तविक भू-स्वामी है जिसका लगातार खसरे में 1997-98 से लगातार एवं इससे पूर्व फसली कब्जा है। ऐसी स्थिति में आवेदक मध्यप्रदेश काश्तकार भू-स्वामी अधिनियम 1984 एवं घोषित शासन की नीति के अनुसार उक्त भूमि का वास्तविक एवं खुद काश्त कृषक है। जिसके विरूद्व की गई कार्यवाही विधि के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

(क्रमशः...2)

(10)

R-652-5/17 टीकमगढ़
इमरत आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-6-18 | आवेदक अभि० श्री सुनील सिंह जादौन उप०। प्रकरण कायमी पर तर्क हेतु<br>पं० 3-8-18<br>आदेश<br>[signature] | [signature] 3/10/18 |
| 3-8-18 | आवेदक अनुपस्थित। प्रकरण पूर्ववत कायमी पर।<br>आदेश<br>पं० 24-9-18<br>[signature] | 24/9/18 |
| 24-9-18 | आवेदक अभि. श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी पर उपस्थित थे। तीन बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।<br>[signature]<br>24-9-18 | |

C.NZ

ग्राशेमुग्वा — 184 — फॉर्म्स — 29-8-16 — 15,000 प्रपत्र.